



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3335 / SEIAA/2022

Date: 16/3/22

प्रति,

श्रीमती संतो चौरसिया, पत्नी श्री शिवदयाल चौरसिया  
ग्राम बिलौआ के पास,  
तहसील डबरा जिला  
ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय:-**प्रकरण क्रमांक 6717/2019 - परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संतो चौरसिया, पत्नी श्री शिवदयाल चौरसिया ग्राम बिलौआ के पास, तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) खसरा नं. 3624/1, रकबा 1.214 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 30,000 मी<sup>3</sup>/वर्ष, ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया .....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 01 अन्य खदान के साथ प्रस्तावित खदान की Overlapping होना परिलक्षित हुआ है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन हेतु आपको सूचित किया जाता है SEIAA कि आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

o/c

(आलोक जायक)  
प्रभारी अधिकारी